राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम.

सुभाष जैन और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 8937) 02 दिसंबर, 2022

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013:धारा 24 (2)-उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रश्न भूमि का अधिग्रहण एस के अंतर्गत समाप्त हो गया है।24(2) अधिनियम, 2013-आयोजितःउच्च न्यायालय राज्य की ओर से विशिष्ट मामले पर ध्यान देने और विचार करने अंतर्गत विफल रहा कि संबंधित समय पर, अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली भूमि मालिकों के कहने पर लंबित कार्यवाही के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, जो इस न्यायालय तक समाप्त हो गया-मूल भूमि मालिक इस न्यायालय तक अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने अंतर्गत विफल रहे-इन परिस्थितियों अंतर्गत , जब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लंबित होने के कारण, कब्जा नहीं लिया जा सका, उसके बाद, भूमि मालिकों के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि चूंकि कब्जा नहीं लिया गया था, इसलिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को एस के अंतर्गत समाप्त माना जाएगा।24(2) अधिनियम, 2013-इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में घोषणा की गई है कि प्रश्न भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही एस के अंतर्गत समाप्त हो गई है।24(2) अधिनियम, 2013 की स्थिति अस्थिर है-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :मूल भूमि मालिक अधिग्रहण की कार्यवाही को इस न्यायालय तक चुनौती देने में विफल रहे।इन परिस्थितियों अंतर्गत , जब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लंबित होने के कारण, कब्जा नहीं लिया जा सका, तो उसके बाद, भूमि मालिकों के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि चूंकि कब्जा नहीं लिया गया था, इसलिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को अधिनियम, **2013** की धारा **24 (2)** के अंतर्गत समाप्त माना जाएगा।उच्च न्यायालय द्वारा यह घोषणा करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश कि प्रश्न भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, **2013** की धारा **24 (2)** के अंतर्गत समाप्त हो गई है, अस्थिर है।

/

/

630

631

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम सुभाष जैन और हमारा।

और वही रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य है और तदनुसार रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।[अनुच्छेद **2.1,3] [632**-बी-सी; **634**-डी]

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस. सी. आर. **1**-अनुसरण किया गया।

/

पुणे नगर निगम और अन्न. वि.हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2014] 1 एससीआर **783**

संदर्भित

पैरा **2**

/

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **2.2**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 8937।

/

2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 2709 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 20.07.2015 के निर्णय और आदेश से।

अतुल कुमार, राहुल पांडे, अमिताभ रंजन, राजीव रंजन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री सुनीता ओझा, आकांक्षा सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. 2015 की लिखित याचिका (सी) संख्या 2709 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस प्रश्न ते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात प्रश्न लिया है और घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के अंतर्गत व्यपगत माना जाता है।

/

/

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि यह घोषणा करते हुए कि अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही को अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त माना जाता है।

/

अधिनियम, 2013, उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है

पुणे नगर निगम और अन्र के मामले में न्यायालय । बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 183।

2.1 हालाँकि, उच्च न्यायालय अपीलार्थियों की ओर से विशिष्ट मामले पर ध्यान देने और विचार करने में विफल रहा है कि संबंधित समय पर, अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली भूमि मालिकों के कहने पर लंबित कार्यवाही के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका, जो इस न्यायालय तक समाप्त हो गई।मूल भूमि मालिक अधिग्रहण की कार्यवाही को इस न्यायालय तक चुनौती देने में विफल रहे।इन परिस्थितियों अंतर्गत , जब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लंबित होने के कारण, कब्जा नहीं लिया जा सका, तो उसके बाद, भूमि मालिकों के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि चूंकि कब्जा नहीं लिया गया था, इसलिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त माना जाएगा।

/

/

2.2 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एस. सी. सी. 129 के मामले में, पैराग्राफ 366 में,

/

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी और निर्णय दिया हैः- “366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है।2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

/

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के अंतर्गत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

/

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या

उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

/

/

633

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम सुभाष जैन और हमारा। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5।यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के अंतर्गत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई थी।

/

/

/

/

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।366.7.1894 के अधिनियम के अंतर्गत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के अंतर्गत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है।

/

/

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।

/

1-1-2014 पर संबंधित प्राधिकारी के पास लंबित भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। "

/

/

3. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा यह घोषणा करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के अंतर्गत

प्रश्न भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है, अस्थिर है और इसे रद्द करने और अलग करने के योग्य है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

/

/

/